संख्या-1-सात-एफ/XXXVI(1)/2006-202जी/97-टी.सी.-1

प्रेषक,

यू०सी०ध्यानी,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन, देहरादून ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय विभाग : 2 देहरादून : दिनांक : 18 फरवरी, 2006

विषय :जनपद चम्पावत, बागेश्वर तथा रुद्रप्रयाग में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिविल जज(सी.डि.), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा सिविल जज(जूनियर डिवीजन) के न्यायालय एवं सम्बद्ध अस्थायी पदों की निरन्तरता ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 3662/सात-न्याय-2-98-3जी/98, दिनांक 1.9.98 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या 2-सात-एफ/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2004, दिनांक 21.12.2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिविल जज(सी.डि.), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालयों के लिए स्वीकृत सभी पदों के कार्यकाल की वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों पर यदि वे बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाए, दिनांक 1.3.2006 से 28.2.2007 तक बढ़ाये जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2. उक्त पैरा-1 पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006-2007 के बजट में अनुदान संख्या-04 के लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश-00" के नामे डाला जायेगा ।

भवदीय,

यू०सी०ध्यानी
सचिव ।

संख्या-1-सात-एफ/XXXVI(1)/2006-202जी/97-टी.सी.-1-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) उत्तराचंल, माजरा, देहरादून ।
2. जिला जज/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी चम्पावत, बागेश्वर तथा रुद्रप्रयाग ।
3. वित्त अनुभाग-5/नियुक्ति अनुभाग/एन.आई.सी./गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव ।